सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
भाद्र 08, शुक्रवार, *शाके 1946*-अगस्त 30, *2024*	
Bhadra 08, Friday, Saka 1946- August 30, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड रावतभाटा, जिला चितौडगढ

प्रारंभिक अधिसूचना

चित्तौडगढ, मई 28, 2024

प्रारूप- ॥

नियम 5(1)

संख्या प.8(1)पीएचई/2024 :-जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए मदार चौक ग्राम प0ह सणिता/ भैसरोड़गढ़ तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ मे कुल 1.70 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, नियम 4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा प्रारम्भिक अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत कर अनापत्ति जारी कर दी गयी है।

भूमि अर्जन के कारण कुल 02 (संख्या) कुटुम्बो के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता के कारण नीचे दिए गए है।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा को प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप मे नियुक्त किया जाता है। अतः जिला चित्तौड़गढ़ के तहसील रावतभाटा के ग्राम पंचायत सणिता के ग्राम मदार चौक मे उक्त परियोजना के लिए 1.70 हेक्टेयर माप के एक भूखंड अर्थात 1.70 मानक माप के भूखंड, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

क्र.सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हैक्टेयर मे)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमांए			
						उ.	द.	पू.	प.
1.	1271	निजी	चाही अ	0.3200	कैलाशबाई, भॅवरीबाई, मथरीबाई, शांतिबाई पुत्री कालू, शंकरलाल पुत्र कालू जाति माली भैसरोडगढ़ के नाम दर्ज रिकार्ड है प्रत्येक का हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड है।	104.50 मी0	80.50 मी	46 मी0	25 मी0
2.	1273	निजी	चाही अ	0.4100		106 मी0	61.25 मी0	49.25 मी0	50 मी0
3.	1280	निजी	चाही अ	0.0100	अब्दुलकयुम,	59.49	97.64	13.13	112.4

4.	1281	निजी	चाही अ	0.9600	करीमबक्ष पुत्र इलाहीबक्ष, 1/3 अयुब अहमद, आशीयाखातुन, मकसुद खान, सिराजअहमद, हबीबअहमद पुत्र अमीरअहमद के 1/15 दर्ज रिकार्ड है।	मी0	मी0	मी0	मी0

वृक्ष	
किस्म	**संख्या**
	-
2	-

संरचनाएं	
प्रकार	**प्लिंथ एरिया**
1. पक्का मकान	30×40फीट
2. पत्थर की कच्ची कोट	2×3×229फीट

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियो के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय मे और उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिशाषी अभियन्ता और उसके कर्मचारिवृंद जन स्वा0 अभि0 विभाग को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा मे खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात, क्रय/विक्रय, आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख मे 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे मे श्रीमान जिला कलेक्टर जिला चित्तौडगढ अथवा उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

चूंकि धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिए भूमि की तत्काल अपेक्षा है, भारत सरकार द्वारा संशोधित अध्यादेश संख्या 09 दिनांक 31.12.2014 जारी कर मूल अधिनियम में सार्वजनिक हित में 'विद्युतीकरण सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचा'तैयार करने हेतु अधिनियम के तहत अध्याय II और III के सभी सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact

Assessment) के प्रावधान यथा धारा 04 से धारा 10 तक की कार्यवाही में छूट प्रदान होने से सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन न करने का विनिश्चय किया गया है।

महेश गगोरिया,
भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा,
जिला चित्तौडगढ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।